ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070
Ph. No.: 011-26131578, 011-26131580, 011-29581000 Website: www.aicte-india.org

# PUBLIC NOTICE

The Hon'ble Supreme Court of India in case of Bharathidasan University & others Vs AICTE & Others has interpreted the provisions of the AICTE Act and has held that although universities do not require prior approval of AICTE to commence a new department course and programmes in technical education. Universities have obligation or duty to confirm to the standards and norms laid down by the AICTE. For the purpose of ensuring coordinated and integrated development of technical education and maintenance of standards, AICTE may cause an inspection of the university, which has to be as per the provisions under relevant rules/regulations of the AICTE. Further, all institutions running technical education programmes in collaboration with any university requires prior approval of AICTE.

It is observed, that some of the Central / State / Private Universities are taking approval from AICTE for some of the selected Technical Course(s)/ Programme(s) only, which is creating confusion to the students. Therefore, the Universities, which are interested in obtaining AICTE approval shall have to obtain approval for all the Technical Course(s)/ Programme(s) and not in few selected Technical Course(s)/ Programme(s) only, after fulfilling the mandatory requirement of AICTE norms from the academic session 2021-22.

As regards, Deemed to be Universities, it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869-17870 /2017. It is observed that some of the Deemed to be Universities have yet to take the AICTE approval or taken partial approval in few selected Technical Course(s)/ Programme(s). Therefore, the Deemed to be Universities who have never taken approval from the AICTE are also advised not to run any Technical Course(s)/ Programme(s) without approval of AICTE.

**All Students are advised to look on AICTE website before taking admission in any of the Deemed to be University for its status of approval.**

**Prof. RAJIVE KUMAR**
**Member Secretary, AICTE**

**Advt. No: Approval Bureau/2020**

# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

**(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)**

**नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070**

**फोन नंबर: 011-26131578, 011-26131580, 011-29581000** www.aicte-india.org

## सार्वजनिक सूचना

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम अभातशिप एवं अन्य के मामले में अभातशिप अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की है कि यद्यपि, विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों के नए विभाग आरंभ करने के लिए अभातशिप के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अभातशिप द्वारा निर्धारित किए गए सन्नियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व अथवा कर्तव्य है। तकनीकी शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने एवं अभातशिप द्वारा निर्धारित किए गए सन्नियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभातशिप विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर सकता है, जोकि अभातशिप के संबन्धित नियमो/विनियमों के प्रावधानों के तहत होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थानों को अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

यह देखा गया है, कि कुछ केंद्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा केवल कुछ चुने हुए तकनीकी पाठ्यक्रम(मों)/कार्यक्रम(मों) के लिए आंशिक रूप से अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा हैं, जो छात्रों में भ्रम पैदा कर रहा है। इसलिए, वे विश्वविद्यालय, जो अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2021-22 से अभातशिप के मानदंडों की अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद सभी तकनीकी पाठ्यक्रम(मों)/कार्यक्रम(मों) के लिए अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, न कि केवल कुछ चुने हुए तकनीकी पाठ्यक्रम(मों)/ कार्यक्रम(मों) के लिए।

मानित विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सी ए संख्या 17869-17870/2017, दिनांक 03-11-2017 में पारित किए गए आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से मानित विश्वविद्यालयों के लिए अभातशिप का अनुमोदन अनिवार्य है। यह देखा गया है कि कुछ मानित विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है अथवा कुछ चुने हुए तकनीकी पाठ्यक्रम(मों)/कार्यक्रम(मों) के लिए आंशिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसलिए, ऐसे मानित विश्वविद्यालयों, जिन्होंने अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह अभातशिप के अनुमोदन के बिना किसी भी तकनीकी पाठ्यक्रम(मों)/कार्यक्रम(मों) का संचालन न करें।

**सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह किसी भी मानित विश्वविद्यालय (Deemed to be University) में प्रवेश लेने से पहले अभातशिप (AICTE) की वेबसाइट पर विश्वविद्यालय के अनुमोदन की स्थिति अवश्य देख लें।**

**प्रो. राजीव कुमार**

**सदस्य सचिव, अभातशिप**

विज्ञापन सं.: अनुमोदन ब्यूरो/**2020**